

# न्यायालय राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार

अन्तर्गत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना-800015

दूरभाष सं0-0612-2215041, email - scdisability2008@gmail.com, website -www.scdisabilities.org

पत्रांक- 1144/आ० नि० को०

दिनांक 26.8.2020

नोटिस-पत्र,

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-82 के अन्तर्गत

वाद सं0-3175/2020

सचिव, बिहार थैलेसीमिया पैरेन्ट्स एसोसिएशन, पटना एवं अन्य थैलेसीमिया पीडित दिव्यांगजन।

.....वादी

बनाम

1. अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, बिहार, पटना।
2. श्री एन.के.गुप्ता, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, संबंधित कोषांग, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार
3. कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना। .....प्रतिवादी

प्रकरण में :- थैलेसीमिया पीडित दिव्यांगजनों को आवश्यक उपचार, चिकित्सकीय सुविधाएँ, दवाएँ, रक्त इत्यादि की उपलब्धता में होने वाली दिक्कतों से संबंधित परिवाद पत्र।

चूंकि उपरोक्त परिवाद पत्र आपके विभाग/संस्थान के विरुद्ध समर्पित की गयी है जिसकी संख्या- 3175 /2020 है। परिवाद पत्र में थैलेसीमिया पीडित दिव्यांगजनों को अपनी जीवन रक्षा से संबंधित आवश्यक उपचार एवं अन्य चिकित्सकीय सुविधाएँ प्राप्त होने में आने वाली दिक्कतों का उल्लेख करते हुए इनके निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया गया है।

दिव्यांगजनों अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 80-82 के अंतर्गत राज्य आयुक्त निःशक्तता को दिव्यांगजनों के अधिकारों व उपलब्ध सुरक्षापार्यों से संबंधित मामले में समुचित प्राधिकारियों को निर्देशित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है एवं इसके निर्वहन के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय के समरूप शक्तियों प्रदान की गई है।

विदित होगा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत थैलेसीमिया को विनिर्दिष्ट दिव्यांगता अंतर्गत शामिल किया गया है। | संदर्भ अनुसूची (धारा 2 (य.ग) | अधिनियम, 2016 के अध्याय 5 "(उप शीर्षक-स्वास्थ्य देख-रेख)" धारा 25 (2) (ज) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को जीवनरक्षक आपात उपचार और प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक चिकित्सकीय सुविधाएँ उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।

इस संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक-788/आ०नि०को०, दिनांक-12.05.2020 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके अंतर्गत थैलेसीमिया पीडित दिव्यांगजनों का प्रमाणीकरण Day care Centers की स्थापना तथा इसके प्रसार में प्रभावी कर्नी हेतु सामान्य व चिकित्सकीय जागरूकता प्रसार का अनुरोध किया गया था।

कृपया.....

थैलेसीमिया पीडित दिव्यांगजनों को आवश्यक चिकित्सकीय सुविधा प्राप्ति में होने वाली दिक्कतों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की सुनवाई की गई एवं मामले के पहलुओं पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि संबंधित वाद में सुनवाई को तिथि निर्धारित करते हुए प्रतिवादी को अपना पक्ष रखने हेतु निदेश प्रदान किया जाए। साथ ही अधिनियम, 2016 की संगत धारा के आलोक में थैलेसीमिया पीडितों की शिकायतों के निवारणार्थ कार्यकारी पदाधिकारियों को अंतरिम आदेश प्रदान किया जाए।

तदनुसार अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय व सभी जिलों के असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे अपने प्राप्तिकार स्थित Day care Centers एवं सभी अस्पतालों में थैलेसीमिया पीडितों के लिए आवश्यक उपचार एवं चिकित्सकीय सुविधाओं यथा रक्त चढ़ाने, आवश्यक दवाओं इत्यादि की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित करें।

संबंधित मामले में वाद की ऑनलाइन माध्यम से सुनवाई हेतु तिथि दिनांक- 16.09.2020, समय -11:30 बजे पूर्वी0 निर्धारित की जाती है। उक्त तिथि के पूर्व प्रतिवादी न्यायालय को ई-मेल के माध्यम से अपना प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। कोविड-19 (covid-19) की स्थितिनुसार यह सुनवाई ऑनलाइन विडियो कॉन्फ्रेसिंग/ऑडियो कॉल के माध्यम से की जाएगी।

इससे संबंधी प्रक्रिया निम्नारूप होगी :-

1. वादी एवं प्रतिवादी निर्धारित सुनवाई की तिथि के पूर्व अपने लिखित पक्ष की प्रति संलग्न करते हुए अपने ई-मेल के माध्यम से कार्यालय के ई-मेल scdisability2008@gmail.com निर्धारित सुनवाई की तिथि का ऑनलाइन उपस्थिति हेतु अपनी समर्थता व्यक्त करेंगे। पर आवेदन करेंगे।

2. सुनवाई की निर्धारित तिथि को नियत समय से पूर्व उन्हें अधोहस्ताक्षरी से जुड़ने के लिए आवश्यक कोड विवरण उपलब्ध कराया जाएगा।

3. सुनवाई के दौरान वादी एवं प्रतिवादी व्यक्तिगत रूप से अपना पक्ष अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत कर सकेंगे एवं इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी की मृच्छा का जवाब दे सकेंगे।

अनुलग्नक —यथोक्त।

*Se. Dr. S. K. Singh*  
26/08  
राज्य आयुक्त निःशक्तिता,  
बिहार, पटना।

जापाक- 1144/आ० निः को०

दिनांक- 26.8.2020

प्रतिलिपि :- परिवादकर्ता सचिव, बिहार थैलेसीमिया पैरेन्ट्स एसोसिएशन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

*Se. Dr. S. K. Singh*  
26/08  
राज्य आयुक्त निःशक्तिता,  
बिहार, पटना।

दिनांक- 26.8.2020

जापाक- 1144/आ० निः को०

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

*Se. Dr. S. K. Singh*  
26/08  
राज्य आयुक्त निःशक्तिता,  
बिहार, पटना।